न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता कुमारी खटीक R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 18/2011

निर्णय दिनांक :–20.02.2020

दावानी दावा :

रंगलाल पुत्र पोलू जाति बैरवा निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादी –

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
3. मोहन पुत्र पोलू जाति बैरवा निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 3

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी नं. 3 के पिता पोलू पुत्र रोडू व चन्द्री बेवा रोडू की खातेदारी की आराजियात साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 1 बीघा 12 बिसवा, व खसरा नम्बर 328/2 रकबा 1 बीघा 13 बिसवा वाके ग्रामा धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है जिसके वादी का पिता पोलू व चन्द्री बेवा रोडू खातेदार थे। पोलू व चन्द्री का देहान्त हो गया है, वादी व प्रतिवादी सं0 3 उनके जायज कायम मुकामान है और मौके पर वादी व प्रतिवादी नं. 3 काबिज है। हाल ही देवली तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है, और सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताएं की गई है। एसी अनियमितताएं वादी व प्रतिवादी सं. 3 के साथ की गई है, उनके पिता के खातेदारी की आराजियात साबिक ख. नं. 143 रकबा 1 बीघा 12 बिसवा, व खसरा नम्बर 328/2 रकबा 1 बीघा 13 बिसवा के हाल नं. 149 रकबा 0.39 है0 बना दिये गये है, और उसमें से 0.19 है0 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं. 3 को दे दी गई, व साबिक ख. नं. 328/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा की जगह नये नं. 330 बनाकर 0.11 है0 जमीन को वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 की खातेदारी में लगा दिया गया। इस तरह साबिक रकबा 3 बीघा 5 बिसवा जिसके लगभग 0.82 है0 जमीन होती है में से 0.30 की ही वादी व प्रतिवादी सं. 3 को खातेदारी दी गई और शेष जमीन को सिवायचक अंकित कर दिया गया। सेटलमेन्ट के बाद ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 जो साबिक ख. नं. 328 से बना है को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक अंकित कर दिया गया, जबकि मिलान क्षैत्रफल गलत बनाये जाने के कारण इस जमीन के साबिक ख. नं. 327 मिन से बनना बताया गया है, जो बिल्कुल गलत है, मौके पर आज भी ख. नं. 329/721 पर वादी व प्रतिवादी सं. 3 का ही कब्जा है और उक्त जमीन को पक्षकारान अपने नाम लगवाने की अधिकारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद के चरण नं. 1 व 2 मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है। चरण 3 हाल ख. नं. 329/721 मुताबिक मिलान क्षैत्रफल के साबिक ख. नं. 327 से बना है जो पूर्व में वादी की खातेदारी में नहीं है। वाद को साबिक व हाल शीट के साक्ष्य प्रस्तुत करने अपेक्षित है। चरण नं. 4 को वादी स्वयं सिद्ध करे। चरण नं. 5 वादी स्वयं सिद्ध करे। चरण नं0 6 वादी की ओर से 80 सी.पी.सी का नोटिस नहीं दिया है। . चरण नं. 7 वादी स्वयं सिद्ध करे। चरण नं. 8 व 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेषः– हाल ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 मुताबिक रिकॉर्ड के सिवायचक है जो ाबिक ख. नं. 327 से बना है। ख. नं. 327 वादी की खातेदारी में नहीं था। वाद ने साबिक व हाल शीट के साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है। अतः वाद पत्र निरस्त फरमावे।

पत्रावली में तनकियात बिन्दु कायम किये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी रंगलाल पुत्र पोलू जाति बैरवा निवासी धान्धोली के पेश किये। वादी ने प्रदर्श डलवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 जमाबन्दी संम्वत 2033–36, प्रदर्श–2 व 3 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4 जमाबन्दी संम्वत 2062–65 प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6 जमाबन्दी प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी पेश किये है।

वादी नें साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 मोतीराम पुत्र लक्ष्मणा जाति बैरवा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–3 मोहन पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी धांधोली के पेश किये।

पत्रावली जिरह में नियत की गई। पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्यो से जिरह नहीं करने से साक्ष्य वादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी सांक्ष्य में नियत की गई। परोकार सरकार साक्ष्य नहीं कराने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट ने वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की आराजी को बिना किसी विधिक अधिकार के सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को पुरानी प्रविष्टियों को दर्ज करनी चाहिए थी। मौके पर कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का है। वर्तमान में भी 329/721 पर हमारी खातेदारी घोषित की जावे। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं.1:– आया वादी विवादित ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम धांधोली तह देवली को वादी व प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का हकदार एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करने के लिए पाबन्द कराने का हकदार है ?

–वादी–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रर्दशित दस्तावेजों में उल्लेख किया है प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 के कॉलम 5 में पोलू पुत्र रोडू व चन्द्री बेवा रोडू जाति चमार के नाम ख. नं. 143 व 328/2 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिसवा अंकित है। प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल में ख. नं. 328 मिन से रकबा 1 बीघा 13

बेसवा से ख. नं. 330 रकबा 0.11 है0 व साबिक ख. नं. 142 रकबा 1 बिसवा व ख. नं. 143 रकबा 1 बीघा 12 बिसवा से हाल ख. नं. 149 रकबा 0.39 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी संम्वत 2062–65 रंगलाल मोहन पि. पोलू के नाम खातेदारी के रूप में ख. नं. 330 रकबा 0.11 है0 व ख. नं. 149 रकबा 0.19 है0 है। प्रदर्श–6 के अनुसार ख. नं. 324 रकबा 0.08 है0 व ख. नं. 329 रकबा 0.36 है0 सिवायचक दर्ज है। उक्त प्रदर्शित दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि प्रदर्श–1 जमाबन्दी में पोलू व चन्द्री खातेदार/गैरखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। केवल जमाबन्दी में इनका नाम व साकिन अंकित है। ख. नं. 328 मिन से ख. नं. 329 व 330 बने है जबकि ख. नं. 329/721 साबिक ख. नं. 327 मिन से बने है। वादी ने मिलान क्षैत्रफल द्वारा साबिक व हाल खसरा नम्बर को साबित नहीं किया है और न ही लगातार कब्जेकाश्त के सम्बन्ध में कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश किया है। वादी तनकी नं. 1 को साबित करने में असफल रहा। अतः तनकी नं. 1 का निर्णय विरूद्ध वादीपक्ष प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 :– आया वादी का वाद निरस्त योग्य है ? **–पेरोकार सरकार–**

उक्त तनकी नं. 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि हाल ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 साबिक ख. नं. 327 मिन से बना है और ख. नं. 327 मिन वादी के पूर्वजो की खातेदारी भूमि नहीं थी। वादी को साबिक व हाल शीट के साक्ष्य पेश करने चाहिए थे जो कि वादी द्वारा पेश नहीं किये गये। हाल ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 पर वादी ने कब्जेकाश्त सम्बन्धी राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। वर्तमान में हाल ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वाके ग्राम धांधोली तहसील देवली के ख. नं. 329/721 साबिक ख. नं. 328 से बनना साबित नहीं करने व ख. नं. 329/721 रकबा 0.36 है0 पर वादी अपना लगातार कब्जाकाश्त राजस्व दस्तावेजो से साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली